

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-7) विभाग

जयपुर, दिनांक 31 DEC 2021

क्रमांक: प01(3)गृह-7/2021

आज्ञा

राजस्थान नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा सेवा नियम 1976 के नियम 23(9) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गयी अनुशंसाओं के आधार पर उप महासमादेष्टा के पदों पर वर्ष 2021-22 की उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध निम्नलिखित समादेष्टाओं को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उप महासमादेष्टा के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	पद रिक्ती तिथि
1.	श्री विजय सिंह भाम्भू	सामान्य	01.08.2021
2.	श्री बिजेन्द्र सिंह	सामान्य	01.11.2021

पदोन्नत अधिकारी अग्रिम आदेश तक अपने वर्तमान पद पर ही कार्य करेंगे। इन्हें पदोन्नत पद पर वास्तविक लाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

६७

(सीमा कुमार)
संयुक्त शासन सचिव,
गृह (आपदा प्रबंधन)

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, गृह रक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह विभाग।
5. महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, गृह (आपदा प्रबंधन) विभाग।
7. संबंधित अधिकारी को मार्फत महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा राज0 जयपुर।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव